## Central Goods & Services Tax Rules, 2017

## Rule 145: Recovery from a third person

- (1) The proper officer may serve upon a person referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 79 (hereafter referred to in this rule as "the third person"), a notice in **FORM GST DRC-13** directing him to deposit the amount specified in the notice.
- (2) Where the third person makes the payment of the amount specified in the notice issued under sub-rule (1), the proper officer shall issue a certificate in FORM GST DRC-14 to the third person clearly indicating the details of the liability so discharged.

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

## नियम 145 : किसी तृतीय व्यक्ति से वसूली

- (1) उचित अधिकारी, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति पर, (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् ''तृतीय व्यक्ति'' कहा गया है) प्ररूप जीएसटी डीआरसी—13 में, उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने का निदेश देते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा।
- (2) जहां तृतीय व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी तृतीय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी—14 में ऐसे उन्मोचित दायित्व के ब्यौरे स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा।